भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5035

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय स्टार्टअप्स में समझौता ज्ञापन

5035. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इस समझौता ज्ञापन से भारतीय स्टार्टअप के हितों की पूर्ति किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है;

(ख) क्या टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टार्टअप को भी इस पहल से लाभ सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ग) क्या डीपीआईआईटी का भविष्य में अन्य फिनटेक या विनिर्माण फर्मों के साथ इसी प्रकार के सहयोग का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम बनाने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की।

देशभर में स्टार्टअप इंडिया पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य-योजना की शुरुआत की, जिसमें देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप ईकोसिस्टम के निर्माण के लिए परिकल्पित स्कीमें और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य-योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्तपोषण सहयोग और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक जगत की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों से संबंधित 19 कार्य मदें शामिल हैं।

विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवप्रयोग आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग और स्टार्टअप के मध्य साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), फिनटेक और विनिर्माण फर्मों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, मेंटरिंग, अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करना, संसाधनों और ज्ञान को साझा करना, बाजार लिंकेज की दिशा में सहायता करना और टियर 2 तथा टियर 3 शहरों सहित देशभर में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग नेटवर्क से जुड़ने के विशिष्ट प्रयोजन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है।

*****